[2019] 9 एस. सी. आर 1155

शमशेर सिंह और ए. एन. आर.

वी.

एलटी। COL। नाहर सिंह (डी) टीएचआर। एलआरएस। & ओआरएस।

(2019 की सिविल अपील संख्या 5632)

29 जुलाई, 2019

[अशोक भूषण और नवीन सिन्हा, जे. जे.]

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908:

या. XXI, r. 101 डिक्री धारकों को दी गई संपत्ति पर कब्जा करने के लिए अदालत की डिक्री के अनुसार,

प्रत्यर्थी को बेदखल करने के बाद-प्रत्यर्थी ने निष्पादन न्यायालय के समक्ष संपत्ति के प्रतिकूल कब्जे में होने का दावा करते हुए अपने निष्कासन की शिकायत करते हुए आवेदन दायर किया-निष्पादन न्यायालय ने आवेदन को यह मानते हुए खारिज कर दिया कि प्रत्यर्थी-आवेदक संपत्ति पर अपना अधिकार साबित करने में विफल रहा-पहली अपील में, उच्च न्यायालय ने निष्पादन न्यायालय के आदेश को दरकिनार कर दिया और प्रत्यर्थी को संपत्ति के कब्जे में वापस रखने का निर्देश दिया-सर्वोच्च न्यायालय में अपील-आयोजितः आदेश XXI के नियम 101 में 1976 के संशोधन के बाद, एक आवेदक को न केवल अपने वास्तविक अधिकार को साबित करने की आवश्यकता होती है,

लेकिन संपत्ति में उसका अधिकार, अधिकार और हित भी, कब्जा में वापस रखा जाना इसलिए, के क्रम में कोई त्रुटि नहीं थी

निष्पादन न्यायालय-उच्च न्यायालय ने अपील को स्वीकार करने में त्रुटि की।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1. सी. पी. सी. के संशोधन से पहले सी. पी. सी. के आदेश XXI के नियम 101 का दायरा और दायरा पूरी तरह से अलग था क्योंकि नियम 101 की तुलना में जो 1976 के संशोधन के बाद क़ानून में लाया गया था। इससे पहले एक व्यक्ति जो एक प्रामाणिक दावेदार था और जो संतुष्ट था कि वह अपनी संपत्ति के कब्जे में था

अपने खाते में या किसी अन्य व्यक्ति के कारण निर्णय-देनदार को नियम 100 और 101 के तहत एक आवेदन पर संपत्ति के कब्जे में रखा जा सकता था, जबकि

अब कब्जा में वापस रखने के लिए संशोधन के बाद एक आवेदक को न केवल यह साबित करना होता है कि वह वास्तविक कब्जे में है, बल्कि उसे संपत्ति में अपना अधिकार, स्वामित्व या हित साबित करना होता है। जिसे पहले बिना संशोधन के मुकदमे में निर्णय दिया जाना था

नियम 103 पर अब नियम 101 में ही निर्णय लिया जाना है, इस प्रकार, कब्जे में रखे जाने के लिए, एक आवेदक को संपत्ति में अपना अधिकार, स्वामित्व या हित साबित करना होगा और केवल यह साबित करना होगा कि वह उस तारीख से पहले कब्जे में था जब उसे बेदखल किया गया था। डिक्री-धारक, वह वापस कब्जे में रखे जाने का हकदार नहीं है। इस प्रकार, नियम 101 के संशोधित प्रावधानों द्वारा चित्रित वैधानिक योजना को ध्यान में रखते हुए, यह नहीं कहा जा सकता है कि केवल इस तथ्य को साबित करके कि प्रतिवादी डिक्री धारक द्वारा बेदखल किए जाने से पहले कब्जे में था, उसे वापस कब्जे में रखा जाना चाहिए। प्रत्यर्थी-आवेदक को कब्जा में वापस रखने के लिए संपत्ति में अपना अधिकार, स्वामित्व या हित साबित करना था। [पारस 14,16 और 17] [1164-ए-बी, जी; 1165-ए-बी]

2. आवेदन में पक्षों के बीच सभी मुद्दे

आदेश XXI नियम 99,100 और 101 की जाँच निष्पादन अदालत द्वारा की जानी चाहिए और निर्णय लिया जाना चाहिए। किसी मामले पर कार्यवाही के लिए पक्षों के बीच उत्पन्न होने वाले सभी प्रश्न (संपत्ति में अधिकार, स्वामित्व या हित से संबंधित प्रश्नों सहित) शब्दों का उपयोग।

" देना

पड़ता है

नियम 97 या नियम 99 के तहत आवेदन। अर्थ और पूर्ण खेल। संशोधन, 1976 से पहले, नियम 103 के तहत, पीड़ित पक्ष के लिए एक मुकदमा लाया जा सकता था

उनके बीच अधिकारों का निर्धारण लेकिन संशोधन, 1976 द्वारा नियम 103 में संशोधन किया गया है। नियम 103 के तहत संशोधन का उद्देश्य यह भी है कि नियम 101 के तहत किए गए किसी भी निर्णय का वही बल होगा और वह उसी शर्तों के अधीन होगा जो किसी अपील के लिए या अन्यथा जैसे कि यह एक डिक्री थी। नियम 101, इस प्रकार, संपत्ति में अधिकार, स्वामित्व या हित से संबंधित सभी मुद्दों को निर्धारित करने का अवसर प्रदान करता है। जब प्रत्यर्थी संख्या 1 ने कब्जा में वापस रखने का दावा करते हुए अपना आवेदन दायर किया, तो वह संपत्ति में अपना अधिकार, स्वामित्व या हित स्थापित करने के लिए बाध्य था। जिसके बिना उनके आवेदन की अनुमति नहीं दी जा सकती थी। निष्पादन न्यायालय ने प्रत्यर्थी संख्या 1 के आवेदन पर सही परिप्रेक्ष्य में विचार किया है और स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 प्रतिकूल कब्जे से अपना अधिकार साबित करने में विफल रहा है, इसलिए आवेदन खारिज किए जाने योग्य है। [पारस 25,26 और 27] [1173-सी-एच]

3. उच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी करने में त्रुटि की कि

आदेश XXI नियम 99,100 और 101, शमशेर सिंह बनाम के तहत आवेदन की कार्यवाही।

एलटी। COL। नाहर सिंह (डी) टीएचआर। एलआरएस।

न्यायालय को इस तरह के प्रश्न का निर्णय नहीं करना है। उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करना सही नहीं था कि प्रतिकूल कब्जे के माध्यम से संपत्ति के संबंध में स्वामित्व को उसके समक्ष अपील में शामिल करने की आवश्यकता नहीं है। आदेश XXI नियम 99,100 और 101 के तहत कार्यवाही में, अधिकार, स्वामित्व या हित निर्धारित किया जाना है और अधिकार, स्वामित्व या हित स्थापित किए बिना, प्रतिवादी संख्या 1 यह दावा नहीं कर सकता है कि उसे वापस कब्जे में रखा जाना चाहिए। [पैरा 28,29]

[1174 - ए-सी]

16.03.2009 पर डिक्री द्वारा खारिज कर दिया गया है और मुकदमे की बहाली के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए हैं। इसलिए, निष्पादन न्यायालय द्वारा पारित आदेश में कोई त्रुटि नहीं है। उच्च न्यायालय ने अपील की अनुमति देने में गलती की, प्रतिवादी संख्या 1 को वापस कब्जे में रखने का निर्देश दिया। [पैरा 28] [1174-सी]

श्रीनाथ और एक अन्य वी। राजेश और अन्य (1998) 4

एससीसी 543: [1998] 2 एस. सी. आर. 709; सिल्वरलाइन फोरम प्रा.

लिमिटेड बनाम राजीव ट्रस्ट और अन्य (1998) 3 एस. सी. सी. 723:

[1998] 2 एस. सी. आर. 587; घासी राम और अन्य बनाम। चैत राम

सैनी और अन्य (1998) एससीसी 200: [1998] 3 एससीआर

863 ; आशान देवी और एक अन्य वी। फुलवासी देवी और

अन्य (2003) 12 एस. सी. सी. 219: [2003] 5 पूरक। एससीआर 820

पर भरोसा किया।

मामला कानून संदर्भ

[1998] 2 एससीआर 709

उस पर भरोसा करें

पैरा 21

[1998] 2 एससीआर 587

उस पर भरोसा करें

पैरा 23

[1998] 3 एससीआर 863

उस पर भरोसा करें

पैरा 24

[2003] 5 पूरक। एस. सी. आर. 820 पर निर्भर

पैरा

24

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 5632

2019 का

2005 [2019] 9 एस. सी. आर. के एफ. एम. ए. सं. 720 में कलकत्ता में उच्च न्यायालय के दिनांक 15.12.2009 के निर्णय और आदेश से।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

देबल बनर्जी, वरिष्ठ अधिवक्ता। , जॉयदीप मजूमदार, रोहित दत्ता, सुश्री प्रियता चक्रवर्ती, दीपक कुमार जेना, अधिवक्ता। अपीलार्थियों के लिए।

अमोल चिताले, अंकुर एस. कुलकर्णी, शतद्रु चक्रवर्ती, मेसर्स. लेक्स रेगिस विधि कार्यालय, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

अशोक भूषण, जे।

1. यह अपील 2005 के एफ. एम. ए. No.720 में कलकत्ता उच्च न्यायालय की खंड पीठ के फैसले के खिलाफ दायर की गई है, जिसके द्वारा अपील की गई है।

प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा दायर किए गए आवेदन को खारिज करते हुए निष्पादन न्यायालय के दिनांक 10.08.2004 के आदेश को दरकिनार करने की अनुमति दी गई है।

सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश XXI नियम 98,99 और 100 के तहत प्रतिवादी संख्या 1 (इसके बाद "सी. पी. सी". के रूप में संदर्भित)।

2. इस अपील को जन्म देने वाले मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं:

2.1 तारापद दत्त नामक एक व्यक्ति के स्वामित्व में परिसर No.15, सहानगर रोड, पी. एस. टॉलीगंज, कलकत्ता था। अनादी दत्त द्वारा बिक्री के लिए एक समझौता निष्पादित किया गया था, जिसने 4 के. के संबंध में राजविंदर सिंह के पक्ष में तारापद दत्त का पुत्र होने का दावा किया था। 4 च. और 00 एसएफटी। परिसर में भूमि और संरचनाओं का No.15।

अनादी दत्त ने शमशेर सिंह के साथ 4 केएच के संबंध में बिक्री के लिए एक और समझौता किया था। 6 च. और 6 एसएफटी। भूमि का और परिसर की संरचनाएँ No.15।

2.2 प्रत्यर्थी ने अलीपुर में तीसरे मुन्सिफ के समक्ष प्रतिकूल कब्जे के आधार पर विचाराधीन परिसर के संबंध में अपने अधिकार की घोषणा के आदेश के लिए प्रार्थना करते हुए 1990 का टी. एस. No.211 दायर किया था।
2.3 अनादी दत्त ने दिनांक 07.05.1990 के बिक्री समझौते के अनुसरण में बिक्री विलेख को निष्पादित नहीं किया, राजविंदर द्वारा 1994 का सूट No.50 और 1994 का 51 शीर्षक मुकदमे दायर किए गए थे।

सिंह और शमशेर सिंह, जिन्हें 20.12.1994 पर एकतरफा घोषित किया गया था। न्यायालय की डिक्री के अनुसरण में, दो

दयाल सिंह (राजविंदर सिंह के मनोनीत) के पक्ष में और शमशेर सिंह के पक्ष में परिवहन के अलग-अलग कार्य किए गए। डिक्री धारकों ने निष्पादन सं. द्वारा दो निष्पादन मामले दायर किए। टी.

एक्स. 1995 का No.09 और टी. एक्स. 1995 का No.10 मुकदमा संपत्ति के कब्जे के वितरण की मांग करता है।

प्रथम एएमएसएच सिंह बनाम। एलटी। COL। नाहर सिंह (डी) टीएचआर। एलआरएस। [अशोक भूषण, जे।]

टाइम कोर्ट बेलिफ कब्जा देने में सफल नहीं हो सका, हालांकि, बाद में कोर्ट बेलिफ ने पुलिस की मदद से खास ने सूट परिसर के खाली कब्जे को 12.04.1996 पर डिक्री धारक को सौंप दिया।

30 दिनों के अंतराल के बाद, प्रतिवादी संख्या 1 ने दो विविध आवेदन दायर किए। मामले संख्या। 10 राजविंदर सिंह के खिलाफ 1996 और 1996 का 11,

शमशेर सिंह, दयाल सिंह और असीस दत्त आदेश XXI नियम 98,99 और 100 सी. पी. सी. के तहत 6 वें सहायक जिले के समक्ष न्यायाधीश, अलीपुर। उक्त दो मिस में। मामले, प्रतिवादी संख्या 1 ने दावा किया कि उनके पिता सरदार इकबाल सिंह कब्जा करने वाले थे

और सूट परिसर में सार्वजनिक परिवहन व्यवसाय के नाम और शैली के तहत अपना व्यवसाय चला रहा था और अपनी मृत्यु के बाद, प्रतिवादी नंबर 1 के तहत एक व्यवसाय चला रहा है।

पूर्व सेवा यूनाइटेड कोल एंटरप्राइज (पी) लिमिटेड का नाम और शैली। उपरोक्त में मिस्क ने कहा। 1996 का मामला No.10,

प्रत्यर्थी संख्या 1 ने दावा किया कि अनादी दत्त तारापद का पुत्र नहीं था और यह असीस कुमार दत्त था, जो स्वर्गीय तारापद का एकमात्र पुत्र, मालिक और एकमात्र कानूनी उत्तराधिकारी था। यह भी दावा किया गया था कि 1990 का एक टी. एस. <आई. डी. 1] अलीपुर में तीसरे मुन्सिफ के समक्ष प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दायर किया गया था, जिसमें उसने प्रतिकूल कब्जे के आधार पर मुकदमा परिसर के अधिकार और अधिकार का दावा किया था। यह भी दावा किया गया कि शमशेर सिंह, राजविंदर सिंह और दयाल सिंह ने अनादी दत्त के साथ मिलकर धोखाधड़ी से फरमान प्राप्त किया था और प्रतिवादी नंबर 1 को मुकदमे की संपत्ति से बेदखल कर दिया था।

विविध में। कार्यवाही आवेदन, हालांकि, प्रतिवादी नंबर 1 ने असिस कुमार दत्त को शामिल किया है, लेकिन उन्होंने न तो विविध याचिकाओं का चुनाव लड़ा। न ही अनादी दत्त की उपाधि को चुनौती दी गई, जिनके खिलाफ एक पूर्व-पक्षीय आदेश पारित किया गया था। उस पर

21.01.1999 , दयाल सिंह ने स्वर्गीय तारापद दत्त के कथित सच्चे कानूनी उत्तराधिकारी, असिस कुमार दत्त द्वारा अपने पक्ष में निष्पादित वाहन विलेख भी प्राप्त किया। दयाल सिंह ने कोलकाता नगर निगम में अपना नाम बदलवा लिया।

निष्पादन न्यायालय ने दिनांक 10.08.2004 के आदेश द्वारा विविध को खारिज कर दिया। 1996 का मामला No.10 और विविध। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दायर 1996 का मामला No.11। निष्पादन अदालत ने अभिनिर्धारित किया कि प्रत्यर्थी संख्या 1 यह साबित करने में विफल रहा कि उसने प्रतिकूल कब्जे के माध्यम से अधिकार प्राप्त किया है। [2019] 9 एस. सी. आर. को अस्वीकार करने वाले दिनांकित 10.08.2004 के आदेश के विरुद्ध।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

विविध। प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा दायर आवेदन, 2005 की पहली अपील, एफ. एम. ए. संख्या 720, प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा कलकत्ता उच्च न्यायालय में दायर की गई थी, जिसे कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 15.12.2009 के विवादित फैसले द्वारा अनुमति दी गई है। उच्च न्यायालय ने विवादित निर्णय द्वारा आदेश को रद्द कर दिया है आदेश XXI नियम 98,99 और 100 के तहत प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दायर आवेदन का निपटान करते हुए निष्पादन न्यायालय दिनांक 10.08.2004 इस निर्देश के साथ कि अपीलार्थी (इस अपील में प्रतिवादी संख्या 1) को मुकदमे की संपत्ति के कब्जे में वापस रखा जाना चाहिए। उच्च न्यायालय के फैसले से व्यथित, यह

याचिका दायर की गई है।

3. हमने अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री देबल बनर्जी और प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील को सुना है।

4. अपीलार्थी की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ वकील श्री देबल बनर्जी ने प्रस्तुत किया कि निष्पादन न्यायालय ने सही तरीके से खारिज कर दिया था आदेश XXI नियम 98,99 के तहत दायर प्रतिवादी संख्या 1 का आवेदन और

100 सी. पी. सी., वह सूट परिसर पर अपना खिताब साबित करने में विफल रहा। यह प्रस्तुत किया जाता है कि अपीलार्थियों को न्यायालय की डिक्री के निष्पादन में संपत्ति के कब्जे में रखा गया था। निष्पादन न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि प्रत्यर्थी संख्या 1 प्रतिकूल अधिकार द्वारा अपना अधिकार साबित करने में विफल रहा, आवेदन को सही ढंग से खारिज कर दिया गया। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि T.S.No.211

प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रतिकूल कब्जे के आधार पर अधिकार की घोषणा का दावा करते हुए दायर 1990 का मामला बाद में 16.03.2009 पर खारिज कर दिया गया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दायर अपील को बिना किसी वैध आधार के स्वीकार करने में त्रुटि की है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय ने अपने विवादित निर्णय में यह विचार रखते हुए गलती की है कि इस प्रश्न पर कि क्या अपीलार्थी ने प्रतिकूल कब्जे के माध्यम से वाद संपत्ति के संबंध में कोई अधिकार प्राप्त किया है या नहीं, अपील में जाने की आवश्यकता नहीं है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि अपीलार्थी के पक्ष में दीवानी न्यायालय द्वारा पारित आदेश को कभी भी किसी ने चुनौती नहीं दी थी

जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 या असिस कुमार दत्त शामिल हैं, जिन पर दावा किया गया है

प्रत्यर्थी संख्या 1 तारापद दत्ता के पुत्र के रूप में। प्रत्यर्थी संख्या 1 संपत्ति पर अपना अधिकार साबित करने में विफल रहने के कारण, वह कब्जे में वापस रखने का हकदार नहीं था और उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थी संख्या 1 की अपील को स्वीकार करने में त्रुटि की। 5. प्रत्यर्थी के विद्वान वकील ने अपीलार्थी के विद्वान वकील की प्रस्तुतियों का खंडन करते हुए तर्क दिया कि तथ्य यह है कि शमशेर सिंह बनाम।

एलटी। COL। नाहर सिंह (डी) टीएचआर। एलआरएस। [अशोक भूषण, जे।]

प्रतिवादी संख्या 1 लंबे समय से परिसर के कब्जे में था और उसने स्वामित्व का अधिकार प्राप्त कर लिया था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि कई दस्तावेज थे प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा अपना अधिकार साबित करने के लिए निष्पादन न्यायालय के समक्ष दायर किया गया। यह पाया गया है कि प्रतिवादी संख्या 1 डिक्री के निष्पादन में बेदखल होने से पहले कब्जे में था, वह

उसे वापस कब्जे में लेने का अधिकार था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि प्रतिवादी संख्या 1 के लिए आदेश XXI नियम 98,99 और 100 सी. पी. सी. के प्रयोजनों के लिए विवादित भूमि पर अपना अधिकार स्थापित करना आवश्यक नहीं था। यह था।

प्रत्यर्थी संख्या 1 के लिए यह साबित करने के लिए पर्याप्त था कि वह अपने कब्जे से पहले कब्जे में था, जो उसे वापस कब्जे में रखने के लिए पर्याप्त था। उन्होंने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय ने अपील को अनुमति देकर अपीलार्थियों को वापस अपने कब्जे में लेने में कोई त्रुटि नहीं की। वह प्रस्तुत करता है कि अपीलकर्ताओं ने स्वर्गीय तारापद दत्ता के पुत्र होने का दावा करने वाले व्यक्ति अनादी दत्त के खिलाफ एक धोखाधड़ी का फरमान प्राप्त किया है, जबकि असली बेटा असिस कुमार दत्त है। प्रत्यर्थी संख्या 1 को एक धोखाधड़ी वाले एकतरफा डिक्री के आधार पर, एक व्यक्ति द्वारा निष्पादित बिक्री समझौते के बल पर बेदखल कर दिया गया है, जिसका कोई अधिकार नहीं है

संपत्ति।

6. हमने पक्षकारों के विद्वान वकील की दलीलों पर विचार किया है और अभिलेखों का अवलोकन किया है।

7. दोनों पक्षों के बीच इस बात को लेकर कोई विवाद नहीं है कि विचाराधीन परिसर मूल रूप से तारापद दत्ता के स्वामित्व में था। प्रत्यर्थी संख्या 1 का मामला यह है कि उनके पिता स्वर्गीय इकबाल सिंह ने सहानगर रोड के परिसर में अतिक्रमण किया था और 1965 में उनकी मृत्यु के बाद, यह प्रत्यर्थी संख्या 1 था, जिसके कब्जे में था। परिसर। 1994 के टी. एस. सं. 50 और 1994 के टी. एस. <आई. डी. 2 में पारित अनुबंध के विशिष्ट प्रदर्शन के लिए डिक्री के अनुसरण में, निष्पादन कार्यवाही में, डिक्री धारकों को 12.04.1996 पर कब्जा कर लिया गया था। कब्जा लेने के समय, एक श्री गोपाल अडाक परिसर में मौजूद पाया गया, जिसने प्रतिवादी संख्या 1 का कर्मचारी होने का दावा किया था। प्रत्यर्थी संख्या 1 ने 1990 की टी. एस. संख्या 211 के प्रतिकूल कब्जे के आधार पर अधिकार की घोषणा के लिए एक मुकदमा दायर किया था। तीसरे मुन्सिफ, 24 परगना के न्यायालय में दायर मुकदमे की शिकायत की प्रति पेश की जाती है।

अनुलग्नक पी-1 के रूप में दर्ज करें। मुकदमे में, प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा निम्नलिखित राहतों का दावा किया गया था, जो मुकदमे में वादी थेः

" क) एक घोषणात्मक डिक्री कि वादी का मुकदमा परिसर No.15, शाहनगर रोड, [2019] 9 एस. सी. आर. में पूर्ण स्वामित्व अधिकार है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

पी. एस. टॉलीगंज के तहत कलकत्ता, जैसा कि वर्ष 1965 से शिकायत की अनुसूची 'ए' में पूरी तरह से वर्णित है, अन्य सभी को बाहर करने के लिए व्यक्ति या व्यक्ति।

बी) प्रतिवादी और/या उसकी ओर से किसी भी व्यक्ति और उसके एजेंट, उसके आदमियों को स्थायी निषेधाज्ञा में हस्तक्षेप करने के लिए रोकने के लिए डिक्री।

वाद की अनुसूची 'क' में पूरी तरह से वर्णित वाद परिसर पर वादी का कब्जा और कब्जा किसी भी तरह से।

ग) अस्थायी निषेधाज्ञा।

(ङ) आयोग।

च) प्राप्तकर्ता।

छ) लागत।

8. आदेश XXI नियम 98,99 और 100 सी. पी. सी. के तहत उसे वापस कब्जे में रखने के लिए प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दायर आवेदन में, प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने पिता की मृत्यु के बाद 1965 से अपने कब्जे का दावा किया है। प्रत्यर्थी संख्या 1 ने अपने आवेदन में 1990 के सूट No.211 होने की घोषणा के लिए मुकदमा दायर करने पर भी भरोसा किया है। पक्षकारों के बीच इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि विशिष्ट निष्पादन की डिक्री के निष्पादन में, अपीलार्थियों को कब्जे में रखा गया था और प्रत्यर्थी संख्या 1 ने अपने निष्कासन से व्यथित होकर आदेश XXI नियम 98,99 और 100 के तहत एक आवेदन दायर किया था। 9. इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आदेश XXI नियम 98,99 और 100 के प्रावधानों पर गौर करना आवश्यक है, जैसा कि

प्रासंगिक समय। यह ध्यान देने योग्य है कि सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा आदेश XXI नियमों में संशोधन किया गया है

97 103 तक। आदेश XXI नियम 97 अचल संपत्ति के कब्जे के प्रतिरोध या बाधा से संबंधित है, जिससे हम संबंधित नहीं हैं। वर्तमान एक ऐसा मामला है जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 ने डिक्री धारकों द्वारा उसे बेदखल करने का आरोप लगाया।

10. आदेश XXI नियम 97 से 103 को सिविल प्रक्रिया संशोधन अधिनियम, 1976,1976 के अधिनियम No.104 द्वारा काफी हद तक संशोधित किया गया था। 1908 की सिविल प्रक्रिया संहिता में संशोधन करने के लिए विधेयक को संसद में 1974 के विधेयक No.27 के रूप में 08.04.1974 पर पेश किया गया था। विधेयक के उद्देश्यों और कारणों का विवरण ध्यान देने योग्य है। उद्देश्यों और कारणों के बयान के साथ-साथ खंडों पर टिप्पणियाँ थीं शमसेर सिंह बनाम।

एलटी। COL। नाहर सिंह (डी) टीएचआर। एलआरएस। [अशोक भूषण, जे।]

भारत के राजपत्र में 04.1974 पर असाधारण भाग II धारा (2) में प्रकाशित। सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश XXI के नियम 97 से S में संशोधन के संबंध में खंडों की टिप्पणियाँ खंड 75 बी-खंड XXXIII) में निहित हैं, जो निम्नलिखित प्रभाव से हैः -

" उप-खंड (XXXIII)। - नियम 97 से 103 की सामान्य योजना को नियम 58 से 63 में प्रस्तावित संशोधनों की तर्ज पर बदल दिया गया है। मुख्य विशेषता यह है कि प्रश्न (एक सहित)

नियम 97 या नियम 99 के तहत किसी कार्यवाही के पक्षों के बीच उत्पन्न होने वाले अधिकार, स्वामित्व या संपत्ति में हित से संबंधित प्रश्न का निर्धारण निष्पादन कार्यवाही में ही किया जाना है और इसे अलग मुकदमे के माध्यम से तय करने के लिए नहीं छोड़ा जाना है। नियम 98 को एक व्यक्ति द्वारा प्रतिरोध आदि के मामलों को शामिल करने के लिए बढ़ाया गया है।

निर्णय-देनदार द्वारा किसी भी उकसावे के तहत कार्य करना।

11. वर्तमान मामले में, वह नियम जिसके लिए गिर गया है

व्याख्या आदेश XXI का नियम 101 है। 6 वें संशोधन से पहले और 1976 के संशोधन के बाद नियम 101 क्या था, यह विधायी योजना में अंतर को चिह्नित करने के लिए प्रासंगिक है।12. संशोधन से पहले नियम 101 में सीमांत नोट था "बोना ई दावेदार को कब्जे में बहाल किया जाना है" जो नियम इस प्रकार हैः -

" 101. जहां न्यायालय का समाधान हो जाता है कि आवेदक के पास अपने खाते में या निर्णय-देनदार के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के कारण संपत्ति का कब्जा था, तो वह निर्देश देगा कि आवेदक को संपत्ति के कब्जे में रखा जाए।

प्रामाणिक

दावेदार को अधिकार में बहाल किया जाए।

13. 1976 के संशोधन के बाद सीमांत नोट और नियम दोनों

काफी बदल गया था। 1976 के संशोधन के बाद नियम 101 इस प्रकार है

ओ. डब्ल्यू. एसः -

101. सभी प्रश्न (अधिकार से संबंधित प्रश्नों सहित,

" सवाल

निर्धारित करने के लिए

नियम 97 या नियम 99 के तहत किसी आवेदन पर कार्यवाही करने वाले पक्षों या उनके प्रतिनिधियों के बीच उत्पन्न होने वाले और आवेदन के निर्णय से संबंधित स्वामित्व या संपत्ति में हित) का निर्धारण आवेदन से निपटने वाले न्यायालय द्वारा किया जाएगा, न कि एक अलग मुकदमे

द्वारा और इस उद्देश्य के लिए, न्यायालय, उस समय लागू किसी अन्य कानून में इसके विपरीत कुछ भी होने के बावजूद, निम्नलिखित समझा जाएगाः

ऐसे प्रश्नों पर निर्णय लेने का अधिकार क्षेत्र है।

19] 9 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

14. संशोधन से पहले नियम 101 का दायरा और दायरा कानून में लाए गए नियम 101 की तुलना में पूरी तरह से अलग था। 1976 के संशोधन के बाद। अपरिवर्तित नियम 101 के तहत, एक प्रामाणिक दावेदार को अधिकार में बहाल किया जाना था और नियम 103 के आधार पर, नियम 101 के तहत पारित आदेश किसी भी पक्ष द्वारा दायर किए जाने वाले मुकदमे के परिणाम के अधीन थे जो निर्णय-देनदार नहीं था। अपरिवर्तित नियम 103 इस प्रकार थाः -

" 103. कोई भी पक्ष निर्णय नहीं है-इसके खिलाफ ऋणी

नि

यमित सूट के अधीन निर्णायक आदेश।

नियम 101 अधिकार स्थापित करने के लिए एक मुकदमा स्थापित कर सकता है जिसे वह वर्तमान अधिकार का दावा करता है

संपत्ति; लेकिन, ऐसे मुकदमे के परिणाम के अधीन (यदि

कोई भी), आदेश निर्णायक होगा।

15. नियम 103 को भी 1976 के संशोधन द्वारा और उसके बाद संशोधित किया गया था।

संशोधन, नियम 103 अब इस प्रकार हैः -

103. जहाँ किसी आवेदन पर निर्णय लिया गया हो।

" आदेश

नियम 98 या नियम 100 के तहत उस पर किया गया आदेश

होना।

समान बल रखें और उसी के अधीन रहें

इलाज किया गया

एक अपील के रूप में या अन्यथा जैसे कि यह एक थे

के रूप में

आदेश "।

फरमान।

16. नियम 101 के अस्तित्व में होने के बीच एक स्पष्ट अंतर है।

संशोधन से पहले और जैसा कि यह अब 1976 के संशोधन के बाद मौजूद है। पहले एक व्यक्ति जो एक प्रामाणिक दावेदार था और जो संतुष्ट था कि वह अपने खाते में या किसी अन्य व्यक्ति के कारण संपत्ति के कब्जे में था, तो निर्णय-देनदार को नियम 100 और 101 के तहत एक आवेदन पर संपत्ति के कब्जे में रखा जा सकता था, जबकि अब कब्जा में वापस रखने के लिए संशोधन के बाद एक आवेदक को न केवल यह साबित करना होता है कि वह वास्तविक कब्जे में है, बल्कि उसे संपत्ति में अपना अधिकार, स्वामित्व या हित साबित करना होता है। जिसे पहले असंशोधित नियम 103 के तहत एक मुकदमे में न्यायनिर्णित किया जाना था, अब नियम 101 में ही न्यायनिर्णित किया जाना है, इस प्रकार, कब्जे में रखे जाने के लिए, एक आवेदक को संपत्ति में अपना अधिकार, स्वामित्व या हित साबित करना होगा और केवल यह साबित करके कि वह डिक्री धारक द्वारा बेदखल किए जाने की तारीख से पहले कब्जे में था, वह वापस कब्जे में रखे जाने का हकदार नहीं है।

17. वैधानिक योजना को ध्यान में रखते हुए जिसे चित्रित किया गया है

नियम 101 के संशोधित प्रावधान, शमशेर सिंह बनाम के वकील की प्रस्तुतियाँ।

एलटी। COL। नाहर सिंह (डी) टीएचआर। एलआरएस। [अशोक भूषण, जे।]

कि केवल इस तथ्य को साबित करके कि वह कब्जे में थाउसे डिक्री-धारक द्वारा बेदखल किए जाने के कारण, उसे वापस एस. एस. आई. एन. में रखा जाना चाहिए जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। प्रत्यर्थी-आवेदक को कब्जे में वापस रखने के लिए संपत्ति में जीएचटी, स्वामित्व या हित साबित करना था।

18. अब, तैयार संदर्भ के लिए, आदेश XXI नियम 99,100 और 101

नीचे उल्लेख किया गया है:

" 99.डिक्री-धारक या खरीदार द्वारा बेदखल-(1) जहां निर्णय-देनदार के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को ऐसी संपत्ति के कब्जे के लिए डिक्री धारक द्वारा अचल संपत्ति से बेदखल कर दिया जाता है या जहां ऐसी संपत्ति बेची गई है।

एक डिक्री का निष्पादन, उसके खरीदार द्वारा, वह एक बना सकता है

इस तरह के विस्थापन की शिकायत करते हुए न्यायालय में आवेदन।

(2) जहाँ ऐसा कोई आवेदन किया जाता है, वहाँ न्यायालय यहाँ निहित प्रावधानों के अनुसार आवेदन पर निर्णय लेने के लिए आगे बढ़ेगा।

100. आवेदन की शिकायत पर पारित किया जाने वाला आदेश

बेदखल-नियम 101 में निर्दिष्ट प्रश्नों के निर्धारण पर, न्यायालय, इस प्रकार के अनुसार दृढ़ संकल्प,

(क) आवेदन की अनुमति देते हुए आदेश दें और निर्देश दें कि आवेदक को संपत्ति के कब्जे में रखा जाए या

आवेदन को खारिज करना; या

(ख) ऐसा अन्य आदेश पारित करें जैसे, मामले की परिस्थितियों में,

यह उचित लग सकता है।

101. निर्धारित किए जाने वाले प्रश्न-सभी प्रश्न (सहित)

नियम के तहत एक आवेदन पर कार्यवाही के लिए पक्षों के बीच उत्पन्न होने वाले अधिकार, स्वामित्व या संपत्ति में हित से संबंधित प्रश्न)

97 या नियम 99 या उनके प्रतिनिधि, और के लिए प्रासंगिक

आवेदन का निर्णय न्यायालय द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

आवेदन से निपटने के लिए और एक अलग मुकदमे द्वारा नहीं और इस उद्देश्य के लिए, न्यायालय, उस समय लागू किसी अन्य कानून में निहित इसके विपरीत कुछ भी होने के बावजूद, माना जाएगा।

इस तरह के प्रश्नों को तय करने का अधिकार क्षेत्र होना।

19. चाहे वर्तमान मामले के तथ्यों में, निष्पादन न्यायालय

[2019] 9 एस. सी. आर. में अधिकार, शीर्षक या रुचि से संबंधित प्रश्नों को निर्धारित करने के लिए सक्षम।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

संपत्ति या केवल यह पता लगाने पर कि प्रत्यर्थी संख्या 1 संपत्ति से बेदखल होने से पहले कब्जे में था, वह वापस कब्जे में रखने का हकदार था? निष्पादन न्यायालय विविध का निर्धारण करते समय। प्रत्यर्थी संख्या 1 के आवेदन में प्रत्यर्थी संख्या 1 के पूरे मामले पर विचार किया गया है, जिसमें उसके द्वारा अपने कब्जे को साबित करने के लिए दायर किए गए दस्तावेज भी शामिल हैं। निष्पादन न्यायालय ने देखा कि प्रतिवादी संख्या 1 ने प्रतिकूल कब्जे के आधार पर अपने अधिकार की घोषणा के लिए पहले ही 1990 का मुकदमा No.211 दायर कर दिया है। मौखिक साक्ष्य पर विचार करने के बाद और

दस्तावेजी साक्ष्य, निष्पादन न्यायालय ने निष्कर्षों को वापस कर दिया कि प्रतिवादी संख्या 1 अपने मामले को स्थापित करने में विफल रहा था कि प्रतिकूल कब्जे के माध्यम से मुकदमे की संपत्ति पर उसका स्पष्ट अधिकार, स्वामित्व और हित है। निचली अदालत की निम्नलिखित टिप्पणियों को इसमें संदर्भित किया जा सकता है।

संदर्भः

" इसके बाद हमें मामले के दूसरे पहलू की जांच करनी होगी, यानी हमें प्रश्न सहित सभी प्रश्नों का निर्धारण करना होगा।

याचिकाकर्ता द्वारा प्रतिकूल कब्जे के माध्यम से स्वामित्व का अधिग्रहण विषय है। इस पर सावधानीपूर्वक विचार किया जाना चाहिए कि क्या इस स्तर पर किसी ऐसे मामले पर कोई टिप्पणी करना उचित होगा जो पहले से ही किसी सक्षम न्यायालय के समक्ष लंबित है। हम इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि मालिकाना हक के मुकदमे पर अभी निर्णायक निर्णय लिया जाना बाकी है और मुकदमे के लंबित रहने तक हमें याचिकाकर्ता के दावे के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। जो भी हो, आइए हम यह पता लगाएँ कि याचिकाकर्ता अपने इस दावे को स्थापित करने में कितना सक्षम रहा है कि उसने अधिकार, शीर्षक प्राप्त कर लिया है।

और प्रतिकूल कब्जे के माध्यम से वाद संपत्ति पर ब्याज।

इसलिए, हम पीडब्लू1 के साक्ष्य से पाते हैं कि यह पूरी तरह से भरोसेमंद नहीं है और उसके मौखिक साक्ष्य से याचिकाकर्ता के मामले को स्पष्ट करना बहुत मुश्किल है। यह स्पष्ट नहीं है कि भर्ती किए गए मालिक तारापद दत्ता का निपटारा कैसे और किस तारीख को किया गया था या किस तारीख को किया गया था

जिस तरह से इकबाल सिंह सूट पर कब्जा करने आए और कब्जा कर लिया

संपत्ति। प्रतिकूल अधिकार द्वारा अधिकार का दावा करने के तत्व इस मामले में बिल्कुल भी साबित नहीं हुए हैं। बल्कि, याचिकाकर्ता द्वारा अपने अधिकार के अधिग्रहण को स्थापित करने का कोई प्रयास नहीं किया गया है।

प्रतिकूल कब्जे का तरीका।

शमसेर सिंह बनाम एलटी। COL। नाहर सिंह (डी) टीएचआर। एलआरएस। [अशोक भूषण, जे।]

धारा 21 नियम 98 और 99 के तहत किसी कार्यवाही में राहत पाने के लिए उसके अधिकार को स्थापित करना और भी अधिक आवश्यक है। सारा बोझ था

पी. डब्ल्यू. 1 पर लेकिन वह बुरी तरह विफल रहे।

20. इस प्रकार, निष्पादन अदालत ने स्पष्ट निष्कर्ष दिया कि अपीलार्थी अपना अधिकार, अधिकार और हित साबित करने में विफल रहा है और

आवेदन अस्वीकार किए जाने योग्य है। उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा दायर अपील में निष्पादन न्यायालय के इस निष्कर्ष को परेशान किए बिना कि प्रत्यर्थी संख्या 1 प्रतिकूल कब्जे से अपना हक साबित करने में विफल रहा, निम्नलिखित टिप्पणियां करके अपील की अनुमति दीः

" चाहे जो भी हो, यह प्रश्न कि क्या अपीलार्थी ने वाद संपत्ति के संबंध में कोई अधिकार प्राप्त किया है प्रतिकूल अधिकार या
नहीं इस न्यायालय द्वारा तय नहीं किया जा रहा है और इस प्रकार यह न्यायालय उक्त प्रश्न में नहीं जा रहा है। लेकिन तथ्य यह है कि अपीलार्थी के पास बहुत कुछ था

जब प्रत्यर्थी संख्या 1 ने संपत्ति की डिलीवरी ली

अपीलार्थी के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू किए बिना और अदालत के बेलिफ के माध्यम से वाद संपत्ति का कब्जा अपीलार्थी को
इसके संबंध में कोई पूर्व सूचना दी जा रही है -

अधिकार का ऐसा वितरण।

21. सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा आदेश 21 नियम 97 से 103 में किए गए संशोधन श्रीनाथ और एक अन्य बनाम राजेश और अन्य, (1998) 4 एस. सी. सी. 543 में इस न्यायालय द्वारा विचार किया गया। इस न्यायालय ने उपरोक्त मामले में उत्पन्न प्रश्न पर ध्यान देते हुए पैराग्राफ संख्या में निम्नलिखित टिप्पणियां की हैं। 2 , 3 और 5:

" 2. अदालतें अपनी सीमा के भीतर प्रक्रियात्मक कानूनों की व्याख्या करती रही हैं ताकि निष्पादन कार्यवाही में उसके दायरे में आने वाली अवैध संपत्ति से संबंधित सभी संभावित विवादों को समाप्त किया जा सके, जिसमें वे भी शामिल हैं जो बाद में उठाए जा सकते हैं।

एक नए सूट के माध्यम से मुकदमों का एक और मुकाबला। इसी तरह

विधायिकाएँ भी समान रूप से उसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए संशोधनों द्वारा प्रयास कर रही हैं। वर्तमान मामला इस संबंध में एक है। इसे ध्यान में रखते हुए, अब हम जांच करने के लिए आगे बढ़ते हैं

वर्तमान मामला।

3. किसी भी प्रक्रियात्मक कानून की व्याख्या करने में, जहां एक से अधिक

व्याख्या संभव है, जो न्याय से बचने के बिना प्रक्रिया को कम करता है, उसे अपनाया जाना चाहिए। प्रक्रियात्मक कानून हमेशा न्याय के अधीन होता है और न्याय की सहायता में होता है। कोई भी व्याख्या जो न्याय के प्राप्तकर्ता को वंचित या निराश करती है, नहीं होनी चाहिए

पीछा किया। 5. यह सवाल उठाया गया है कि क्या किसी संपत्ति पर कब्जा करने वाला तीसरा पक्ष किरायेदार के रूप में स्वतंत्र अधिकार का दावा करता है, न कि

निष्पादन के तहत डिक्री मांग करके इस तरह के डिक्री का विरोध कर सकती है

सिविल के आदेश 21 नियम 97 के तहत उनकी आपत्तियों का निर्णय

प्रक्रिया संहिता? "

22. उपरोक्त मामले में, प्रतिवादी संख्या 1 ने एक मुकदमा दायर किया

प्रत्यर्थी संख्या 2 के खिलाफ बंधक का विकल्प, जो घोषित किया गया था।

लेक्री ने बंधक की गई संपत्ति के खाली कब्जे को आवेदक (प्रतिवादी संख्या 1) को देने का निर्देश दिया। उक्त सूट में, लैंट पक्षकार नहीं थे। अपीलार्थी, जिसने होने का दावा कियासत्र, इस आधार पर डिक्री के निष्पादन में बाधा डालता है कि वे गेज के निष्पादन से बहुत पहले से दुकान में किरायेदार थे। उपरोक्त संदर्भ में, इस न्यायालय ने आदेश XXI में संशोधनों पर ध्यान दिया। पैराग्राफ संख्या में। 11 , 13 और 16, निम्नलिखित रखा गया था

:

अचल संपत्ति के कब्जे के वितरण के मामलों से संबंधित है। वास्तविक भौतिक हस्तांतरण द्वारा डिक्री धारक को संपत्ति

एक आदेश द्वारा, जबकि आदेश 21 नियम 36 के तहत केवल प्रतीकात्मक कब्जा वहाँ दिया जाता है जहाँ किरायेदार वास्तविक कब्जे में होता है।

आदेश 21 नियम 97, जैसा कि ऊपर कहा गया है, ऐसे मामलों की कल्पना करता है जहाँ डिक्री-धारक या खरीदार को कब्जे का वितरण है

किसी भी व्यक्ति द्वारा विरोध किया गया। जैसा कि ऊपर कहा गया है, कोई भी व्यक्ति इतना व्यापक है कि इसमें एक ऐसा व्यक्ति भी शामिल हो सकता है जो किसी डिक्री से बाध्य नहीं है या अधिकार का दावा नहीं करता है।

एलटी। COL. नाहर सिंह (डी) टीएचआर। एलआरएस। [अशोक भूषण, जे।]

एक किरायेदार सहित अपने दम पर संपत्ति में

अजनबी।

13. अब तक नियम 97 के उपखंड (1) का प्रावधान समान है, लेकिन 1976 के संशोधन के बाद संपत्ति से संबंधित सभी विवाद समान हैं।

नियम 97 और 99 के तहत किए गए निर्णय नियम 101 के तहत लिए जाने हैं, जबकि नियम 97 के उपखंड (2) के तहत अपरिवर्तित प्रावधान के तहत, निष्पादन अदालत ऐसे किसी भी व्यक्ति को समन जारी करती है जो अवैध संपत्ति पर कब्जे में बाधा डालता है। इसके बाद

नियम 98 के तहत जांच अदालत एक डिक्री धारक को अपने कब्जे में वापस रखती है जहां अदालत को लगता है कि बाधा उत्पन्न हुई थी बिना किसी उचित कारण के, जबकि नियम 99 के तहत जहां किसी व्यक्ति द्वारा अपने अधिकार पर संपत्ति के कब्जे में होने का सद्भावना से दावा करने से बाधा उत्पन्न हुई थी, अदालत को

डिक्री धारक का आवेदन। इस प्रकार 1976 से पहले भी, किसी भी व्यक्ति के अपने या किरायेदार के रूप में अधिकार का दावा करने का अधिकार, जो मुकदमे में पक्षकार नहीं है, ऐसे व्यक्ति के अधिकार पर नियम 99 के तहत निर्णय लिया जाना चाहिए और उसे एक अलग मुकदमा दायर करने के लिए वापस आने की आवश्यकता नहीं है। इससे वह एक लंबी मुकदमेबाजी से बच जाता है। अतः एक किरायेदार या अपने दम पर संपत्ति में अधिकार का दावा करने वाला कोई भी व्यक्ति, यदि डिक्री धारक को कब्जा देने का विरोध करता है, तो विवाद और उसके दावे का निर्णय नियम 101 के साथ पठित नियम 97 के तहत 1976 के संशोधन के बाद और नियम 99 के साथ पठित नियम 97 के तहत संशोधन से पहले किया जाना चाहिए। हालाँकि, पुराने कानून के तहत, यदि नियम 99 के साथ पठित नियम 97 के तहत कब्जे का विरोध करने वाले व्यक्ति के खिलाफ आदेश पारित किया जाता है, तो

नियम 103 के आधार पर, जैसा कि तब था, उन्हें अपने अधिकार को स्थापित करने के लिए एक मुकदमा दायर करना था। लेकिन अब संशोधन के बाद किसी को मुकदमा दायर करने की आवश्यकता नहीं है

ऐसे मामलों में भी जब सभी विवादों का निपटारा अंततः नियम 101 के तहत निष्पादन अदालत द्वारा ही किया जाना है।

16. नूरदुद्दीन बनाम। डॉ. के. एल. आनंद, (1995) 1 एस. सी. सी. 242 यह आयोजित किया जाता हैः (एस. सी. सी पी. 249, पैरा 8)

" 8. इस प्रकार, संहिता की योजना स्पष्ट रूप से यह बताती है कि जब आदेश 21 नियम 97 के तहत कोई आवेदन किया गया है, तो अदालत को पक्षकारों के बीच उत्पन्न होने वाली संपत्ति में दावा किए गए अधिकार, स्वामित्व और ब्याज पर निर्णय लेने का आदेश दिया गया है। अचल [2019] 9 एस. सी. आर. में स्वतंत्र अधिकार, स्वामित्व या हित का दावा करने वाले डिक्री-धारक और व्यक्ति के बीच या कार्यवाही।

उस ओर से संपत्ति और एक आदेश बनाया जाए। द.

निर्णय पक्षों के बीच निर्णायक होगा जैसे कि

अपील के अधिकार के अधीन एक डिक्री थी और एक अलग मुकदमे द्वारा उत्तेजित होने का मामला नहीं था। दूसरे शब्दों में, कोई नहीं

कार्यवाही करने की अनुमति दी गई। होना ही चाहिए।

याद रखें कि पूर्ववर्ती सिविल प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम, 1976,1908 संहिता के आदेश 21 नियम 103 के तहत वाद का अधिकार उपलब्ध था जिसे अब छीन लिया गया है। आवश्यकता के अनुसार

निहितार्थ, विधायिका ने दलों को एक

निष्पादन और अंतिमता के तहत अचल संपत्ति में अधिकार, स्वामित्व या हित का निर्णय इसे दिया गया है। इस प्रकार, संहिता की योजना को समाप्त करना प्रतीत होता है

निष्पादन को आगे बढ़ाना और मुकदमेबाजी को छोटा करना अधिकार, स्वामित्व और हित का दावा करने वाले पक्षों या व्यक्तियों के बीच

निष्पादन में अचल संपत्ति में "।

23. सिल्वरलाइन फोरम प्रा. लि. लि. बनाम राजीव ट्रस्ट और

उसकी, (1998) 3 एस. सी. सी. 723, एक तीन न्यायाधीशों की पीठ को आदेश XXI नियम 97,101,102 और 103 के प्रावधानों को संशोधित करने का अवसर मिला।सिविल प्रक्रिया (संशोधन) अधिनियम, 1976। पैराग्राफ 9 और 10 में निम्नलिखित उल्लेख किया गया थाः

" 9. शुरुआत में, हम देख सकते हैं कि उच्च न्यायालय से सहमत होना मुश्किल है कि निष्पादन की डिक्री के लिए किसी तीसरे पक्ष द्वारा किए गए प्रतिरोध या बाधाओं को संहिता के आदेश 21 नियम 97 के तहत नहीं लिया जा सकता है। संहिता के आदेश 21 में नियम 97 से 106

"वितरण के लिए प्रतिरोध" शीर्षक के तहत शामिल किए गए हैं

डिक्री धारक या खरीदार का अधिकार। ये हैं नियम

हर प्रकार के प्रतिरोध या बाधाओं से निपटने का इरादा

किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत। नियम 97 विशेष रूप से प्रदान करता है कि जब अचल संपत्ति के कब्जे के लिए डिक्री के धारक का "किसी भी व्यक्ति" द्वारा कब्जा प्राप्त करने में विरोध या बाधा डाली जाती है

संपत्ति ऐसे डिक्री-धारक को प्रतिरोध या बाधा की शिकायत करने के लिए एक आवेदन करना पड़ता है। उप-नियम (2) न्यायालय को ऐसे मामलों में निर्णय लेने के लिए आगे बढ़ना अनिवार्य बनाता है।

निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार शिकायत।

10. यह सच है कि आदेश 21 का नियम 99 किसी भी व्यक्ति के लिए तब तक उपलब्ध नहीं है जब तक कि उसे डिक्री धारक द्वारा अचल संपत्ति से बेदखल नहीं कर दिया जाता है। नियम 101 में कहा गया है कि सभी प्रश्न उत्पन्न होते हैं। नियम शमशेर सिंह v के तहत एक आवेदन पर कार्यवाही के लिए पक्षों के बीच।

एलटी। COL। नाहर सिंह (डी) टीएचआर। एलआरएस। [अशोक भूषण, जे।]

97 या नियम 99 "निष्पादन न्यायालय द्वारा निर्धारित किया जाएगा, यदि ऐसे प्रश्न" आवेदन के निर्णय के लिए प्रासंगिक हैं "। डिक्री का एक तीसरा पक्ष जो प्रतिरोध की पेशकश करता है, इस प्रकार गिर जाएगा

नियम 101 के दायरे में यदि उसके द्वारा किए गए प्रतिरोध या बाधा के परिणामस्वरूप कोई निर्णय लिया जाता है

फरमान का निष्पादन। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यदि विरोध निर्णय के किसी हस्तांतरणकर्ता-ऋणदाता द्वारा किया गया था, तो निर्णय का दायरा इस सीमित प्रश्न तक सिकुड़ जाएगा कि क्या वह ऐसा हस्तांतरणकर्ता है और सकारात्मक निष्कर्ष पर।

उस बिंदु के संबंध में निष्पादन अदालत को यह अभिनिर्धारित करना होगा कि उसके पास नहीं है नियम 102 में निहित स्पष्ट भाषा को देखते हुए विरोध करने का अधिकार। इस तरह के हस्तांतरणकर्ता को आगे की दलीलें उठाने से बाहर करना संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 52 में दिए गए हितकारी सिद्धांत पर आधारित है।

वर्ष 1985 में विलेख और अभियुक्तों की अनुपस्थिति में डिक्री जो मुकदमे के लिए आवश्यक पक्ष थे, निष्पादन योग्य नहीं है। आवेदन को निष्पादन न्यायालय द्वारा अनुमति दी गई थी और विरोध करने वालों को पेश किया गया था कब्जा, जिसके खिलाफ आदेश, उच्च न्यायालय में एक अपील दायर की गई थी। उच्च न्यायालय ने अपील को यह मानते हुए स्वीकार कर लिया था कि उद्देश्यकर्ताओं को वास्तव में और भौतिक रूप से बेदखल नहीं किया गया था, आदेश XXI के तहत आवेदन

संहिता का नियम 99 बनाए रखने योग्य नहीं था और निष्पादन अदालत निष्पादन कार्यवाही के दौरान संपत्ति पर पक्षों के प्रतिस्पर्धी दावों का फैसला नहीं कर सकती थी। इस मामले को इस न्यायालय में ले जाया गया, जहाँ इस न्यायालय ने प्रासंगिक प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए आदेश XXI नियम 99 और 101 के प्रावधानों की व्याख्या की है। यह न्यायालय

अभिनिर्धारित किया कि सिविल प्रक्रिया संहिता [2019] 9 एस. सी. आर. द्वारा लाए गए संशोधन का उद्देश्य।

समाप्ति) अधिनियम, 1976 तीसरे पक्ष को मुकदमेबाजी के विस्तार को रोकने की दृष्टि से निष्पादन कार्यवाही में अपने अधिकारों का लाइसेंस लेने में सक्षम बनाने के लिए था। पैराग्राफ में निम्नलिखित उल्लेख किया गया था

25 , 28 , 29 और 30:

अपरिवर्तित संहिता के तहत, तीसरे पक्ष प्रतिकूल रूप से प्रभावित होते हैं या शामिल संपत्ति से बेदखल, स्वामित्व और कब्जे का दावा करने के लिए स्वतंत्र मुकदमे दायर करने की आवश्यकता थी। विधायिका ने जानबूझकर आदेश 21 में प्रावधानों में संशोधन किया ताकि तीसरे पक्ष निष्पादन कार्यवाही में अपने अधिकारों का निर्णय ले सकें।

मुकदमेबाजी के विस्तार को कम करने की दृष्टि से और

फरमानों के निष्पादन में गिरफ्तारी में देरी। भाग मल वी. देखें। च. परभू राम, (1985) 1 एस. सी. सी. 61.

28. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हमारी राय में, निष्पादन न्यायालय साक्ष्य दर्ज करने और तीसरे पक्ष के दावे पर निर्णय लेने में कानून के भीतर था। निष्पादन अदालत ने संहिता के आदेश 21 नियम 99 के तहत आक्षेपकर्ताओं के आवेदन की स्थिरता पर प्रारंभिक आपत्ति को सही ढंग से खारिज कर दिया और निर्णय लिया

के बीच उत्पन्न होने वाले उनके दावों के गुण-दोष पर अन्य मुद्दे

डिक्री-धारक और विरोध करने वाले।

29. उच्च न्यायालय ने अपील में मुख्य रूप से विरोध करने वालों के कहने पर आदेश 21 नियम 99 के तहत आवेदन की वैधता के सवाल पर अपना निर्णय केंद्रित किया और उक्त आवेदन को खारिज करने के बाद डिक्री धारक और विरोध करने वालों के बीच उत्पन्न होने वाले गुण-दोष पर अन्य मुद्दों पर विस्तार से विचार नहीं किया। तथ्यों और कानून के पहले न्यायालय के रूप में योग्यता पर जिन मुद्दों की अपीलीय न्यायालय द्वारा फिर से जांच की जानी थी, वे थेः

(1) क्या मुक़दमा दायर किए जाने के समय डिक्री-धारक को विरोध करने वालों के पक्ष में पंजीकृत बिक्री विलेखों के निष्पादन की जानकारी थी और फिर भी उन्होंने जानबूझकर उन्हें मुक़दमे में पक्षकार बनाने से परहेज किया और इस प्रकार विक्रेताओं के साथ मिलीभुगत में एक विशेष एकपक्षीय डिक्री प्राप्त की।

अनुबंध का निष्पादन।

या शमसेर सिंह बनाम। एलटी। COL। नाहर सिंह (डी) टीएचआर। एलआरएस। [अशोक भूषण, जे।]

(2) क्या विरोध करने वालों को डिक्री धारक के पक्ष में विक्रेताओं द्वारा निष्पादित बिक्री के पूर्व समझौते के अस्तित्व के बारे में पूरी जानकारी थी और इस तरह की जानकारी के बावजूद वे

समझौते को विफल करने के लिए सूट संपत्ति खरीदी

डिक्री धारक के पक्ष में विद्यमान।

30. अपीलीय न्यायालय के रूप में, विरोध करने वालों को खारिज कर दिया '

आदेश 21 नियम 99 के तहत आवेदन, गुण-दोष के आधार पर विवादित मुद्दों में अधिक विस्तार से नहीं गया है, इसे अलग करना आवश्यक है

उच्च न्यायालय का विवादित आदेश और मामले को उसके पास वापस भेज दिया

कानून के अनुसार नए सिरे से अपील का निर्णय। ”

25. इस अदालत के उपरोक्त फैसले में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आदेश XXI नियम 99,100 और 101 के तहत आवेदन में पक्षों के बीच सभी मुद्दों की अदालत को निष्पादित करके जांच करने और निर्णय लेने की आवश्यकता है।

26. दोनों पक्षों के बीच उत्पन्न होने वाले सभी प्रश्नों (संपत्ति में अधिकार, स्वामित्व या हित से संबंधित प्रश्नों सहित) का उपयोग।

नियम 97 या नियम 99 के तहत एक आवेदन पर कार्यवाही के लिए पक्षकार

" " इसे अर्थ और पूर्ण खेल दिया जाना चाहिए। यह भी ध्यान देने योग्य है कि संशोधन, 1976 से पहले, नियम 103 के तहत, पीड़ित पक्षकार

उनके बीच अधिकारों के निर्धारण के लिए एक मुकदमा लाया जा सकता था, लेकिन संशोधन, 1976 द्वारा नियम 103 को निम्नलिखित प्रभाव से संशोधित किया गया हैः

" 103.आदेशों को फरमानों के रूप में माना जाना चाहिए। जहाँ कोई

आवेदन पर नियम 98 या नियम 100 के तहत निर्णय लिया गया है, उस पर दिए गए आदेश का वही बल होगा और वह अपील के समान शर्तों के अधीन होगा या अन्यथा जैसे कि यह एक

आदेश "।

27. नियम 103 के तहत संशोधन का उद्देश्य यह भी है कि नियम 101 के तहत किए गए किसी भी निर्णय का वही बल होगा और वह उसी शर्तों के अधीन होगा जो किसी अपील के लिए या अन्यथा जैसे कि यह एक डिक्री थी। नियम 101, इस प्रकार, संपत्ति में अधिकार, स्वामित्व या हित से संबंधित सभी मुद्दों को निर्धारित करने का अवसर प्रदान करता है। जब प्रत्यर्थी संख्या 1 ने कब्जा में वापस रखने का दावा करते हुए अपना आवेदन दायर किया, तो वह संपत्ति में अपना अधिकार, स्वामित्व या हित स्थापित करने के लिए बाध्य था, जिसके बिना उसके आवेदन की अनुमति नहीं दी जा सकती थी। निष्पादन न्यायालय ने प्रत्यर्थी

संख्या 1 के आवेदन पर सही परिप्रेक्ष्य में विचार किया है और स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 प्रतिकूल कब्जे से अपना अधिकार साबित करने में विफल रहा है, इसलिए आवेदन खारिज किए जाने योग्य है।

19] 9 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

28. उच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी करते हुए त्रुटि की कि आदेश XXI नियम 99,100 और 101 के तहत आवेदन की कार्यवाही में, न्यायालय को इस तरह के प्रश्न का निर्णय नहीं करना है। अधिकार, स्वामित्व या हित के निर्धारण के बिना आवेदन की अनुमति नहीं दी जा सकती थी। हम पहले ही उच्च न्यायालय की टिप्पणियों को निकाल चुके हैं, जहां उसने स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया है कि प्रतिकूल कब्जे के माध्यम से संपत्ति के संबंध में स्वामित्व को उसके समक्ष अपील में जाने की आवश्यकता नहीं है। उच्च न्यायालय की उपरोक्त टिप्पणी गलत थी। आदेश XXI नियम 99,100 और 101 के तहत कार्यवाही में, अधिकार, स्वामित्व या हित निर्धारित किया जाना है और अधिकार, स्वामित्व या हित स्थापित किए बिना, प्रतिवादी संख्या 1 यह दावा नहीं कर सकता है कि उसे वापस कब्जे में रखा जाना चाहिए। हम प्रत्यर्थी के लिए विद्वान वकील की इस दलील को स्वीकार नहीं करते हैं कि केवल इस तथ्य पर कि प्रत्यर्थी संख्या 1 बेदखल होने से पहले परिसर के कब्जे में था, उन्हें वापस कब्जे में रखा जाना चाहिए। कब्जा में वापस रखने के लिए,

प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा संपत्ति पर अपना अधिकार स्थापित करने के लिए बाध्य था

प्रतिकूल कब्जा, जिसके बिना, वह अदालत से उसे वापस कब्जे में रखने के लिए नहीं कह सकता था। उच्च न्यायालय ने अपील को स्वीकार करने में स्पष्ट रूप से गलती की और निष्पादन न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दायर आवेदन को सही ढंग से खारिज कर दिया है। हम आगे नोटिस कर सकते हैं कि 1990 का मुकदमा No.211 प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा दायर किया गया है जिसमें संपत्ति के स्वामित्व की घोषणा की गई है।

प्रतिकूल कब्जे द्वारा बाद में 16.03.2009 पर डिक्री द्वारा खारिज कर दिया गया है और मुकदमे की बहाली के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए हैं। 29. हम निष्पादन न्यायालय द्वारा पारित आदेश में कोई त्रुटि नहीं पाते हैं और उच्च न्यायालय ने अपील की अनुमति देने में त्रुटि की है।

प्रत्यर्थी संख्या 1 को वापस कब्जे में रखने का निर्देश देना। पूर्वगामी चर्चाओं को ध्यान में रखते हुए, हम इस अपील की अनुमति देते हैं और

उच्च न्यायालय का दिनांक 15.12.2009 का निर्णय और निष्पादन न्यायालय के दिनांक 10.08.2004 के आदेश को बहाल करना। पार्टियां वहन करेंगी

अपने खर्च।

अपील की अनुमति दी गई।

कल्पना के. त्रिपाठी